कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 496./11—सी—FP/UP/Others/30687/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 04,2020

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषयः— इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर—बिलसण्डा मार्ग सं0—62 पी0ए0 के चैनेज 5.924 से 5.959 दॉयी पटरी पर ग्राम ईटगॉव, तहसील—बीसलपुर, जिला—पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं0—821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Others/30687/2017**)

सन्दर्भः— आपका पत्रांक—1348/14—1, दिनांक 04.03.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक—2450/11सी FP/UP/Others/30687/2017 दिनांक 25.06.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक—1817/11सी FP/UP/Others/30687/2017 दिनांक 06.03.2020 व आपका पत्रांक—324/14—1 दिनांक 14.08.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 06.03.2020 द्वारा कमियों के निराकरण हेतु आपको प्रेषित किया गया था जिसके कम में प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2020 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1— प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है व ऑनलाइन भाग—1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाईल अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुए आनलाइन भाग—1 Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।

2— भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

3— क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 50 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या—496/11—सी— **FP/UP/Others/30687/2017**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वन संरक्षक बरेली वृत्त, बरेली।

2— प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत।

3— वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम0डी0) 35—ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली—243001

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C